



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

132/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

दिनांक 17/11/24

//आदेश//

प्रायोजी संस्था लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाऊण्डेशन ट्रस्ट, शिवपुरी द्वारा जिले में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव क्रं. 2020/12 दिनांक 08/03/2020 एवं अनुपालन प्रस्ताव 12.01.2021 में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के एकल मुख्य परिसर में संस्था द्वारा पूर्व से संचालित निजी महाविद्यालयों को भविष्य में विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में सम्मिलित किए जाने का उल्लेख किया गया था।

डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा हुई जिसकी अधिसूचना क्रं. 91 दिनांक 22.02.2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पत्र एलएसईएफ/13 दिनांक 22.06.2023 एवं क्रमांक डीपीजीयु/12/ए दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित महाविद्यालयों को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में मान्य करने हेतु आवश्यक प्रपत्र में राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केन्द्र/राज्य की विभिन्न विनियामक परिषदों की अनुमति हेतु आवेदन की प्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्ध लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, करैरा शिवपुरी एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध लक्ष्मण सेठ फार्मसी कॉलेज, ग्राम दिनारा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी में संचालित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असंबद्ध किया गया है। भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा लक्ष्मण सेठ फार्मसी कॉलेज, शिवपुरी को एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, शिवपुरी को फैंकल्टी ऑफ एजुकेशन एवं फिजिकल एजुकेशन में परिवर्तित करके डॉ प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी/सम्बद्ध इकाई हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न सहपत्रों के परीक्षण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2707/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल/अका-1/2023-24 दिनांक 03/11/2023 के द्वारा एक सदस्य समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अधिनियम की धारा 9(क)(ख) के अंतर्गत की गई जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(क)(3) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांतर्गत तथा आयोग सभा की 188 वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 में निर्णय के अनुक्रम में डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी के मुख्य परिसर स्थित निम्नलिखित दो महाविद्यालयों को संघटक ईकाईयों के रूप में सशर्त एवं प्रावधिक रूप से मान्य किया जाता है:-

1. लक्ष्मण सेठ फार्मसी कॉलेज, शिवपुरी
2. लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल कॉलेज, शिवपुरी

निरंतर....

उक्त महाविद्यालयों में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद् का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Laxman Seth Education College	Faculty of Education & Physical Education	Bachelor of Education (B.Ed.)	50	-	50	F.No. WRC/APP2597& APP 2700/B.Ed. & B.P.E.D./391*/M. P./2023/223892	32
			Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.)	100	-	100	Date-08.08.2023	36
2	Laxman Seth Pharmacy College	Faculty of Pharmacy	Diploma in Pharmacy	60	-	60	PCI- 1200/2022	55
			Bachelor in Pharmacy	100	-	100	Date- 27.09.2023	56

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम की धारा 9(क) की उपधारा (1) से (4) तक में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व उक्त महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र विद्यमान विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी बने रहेंगे।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियामक परिषदों से नियमानुसार प्राप्त अनुमति के आधार पर प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाएगा।

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों, के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित विनियामक परिषद की अनुमति प्रतिवर्ष नियमानुसार प्राप्त की जायेगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्राधान्यानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।

10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(अध्यक्ष, महो. द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठांकन...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल
प्रतिलिपि :-

1. मान.अध्यक्ष महोदय, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मूल नरित।
3. गार्ड फाइल।

Ajali

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल
दिनांक

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल